न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, बारां जिला बारां (राज.)

वाद/प्रार्थना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
910	136	निचाला	बारां

वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी
मथुरालाल	बनाम	सरकार

वकील :- **आदेश पत्रक** वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
15/7/15	रिपोर्ट सरिस्ता देखी, प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया, प्रार्थना पत्र उचित न्याय शुल्क पर अन्दर म्याद प्रस्तुत है तथा क्षेत्राधिकार में है । दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलवी हेतु दिनांक 1/8/15 को पेश हो। [signature] उप खण्ड अधिकारी बारॉं	
26/10/15	— पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादी की तलबी जारी होना नहीं पाया जाता है पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 16.12.15 को पेश हो। [signature] उप खण्ड अधिकारी बारॉं	
16/12/15	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित प्रतिवादी की तलबी हेतु तलबाना पेश करें पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 28-1-16 को पेश हो। [signature] उप खण्ड अधिकारी बारॉं	
28.1.16	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित प्रतिवादी सरकार तरफ से उपस्थित जवाब पेश नहीं हुआ समय चाहा है पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 3.3.16 को पेश हो। [signature] उप खण्ड अधिकारी बारॉं	
3-3-16	पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में रहने से पूर्ववत दिनांक 2.5.16 को प्रस्तुत हों। [signature] रीडर उप खण्ड अधिकारी, बारॉं	
19.9.16	पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में रहने से पूर्ववत दिनांक 3.10.16 को प्रस्तुत हों। [signature] रीडर उप खण्ड अधिकारी, बारॉं	

फर्द अहकाम

नियम 20

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, बारां

उनवान

मथुरालाल बनाम सरकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

प्रकरण संख्या D05/15

दायरा तिथि :– 15.07.2015

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नबंर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.05.2025	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। खातेदारी दर्ज करने के लिए यह वाद प्रस्तुत किया गया है। धारा 136 एल. आर.एक्ट में केवल लिपिकीय अशुद्धियां सही की जा सकती है, किसी भी प्रकार के अधिकारों का सृजन नही किया जा सकता है माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय RRT 2015 page 10 तथा माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान के निर्णय RRT 2022(2) page 1864 में थी यही सिद्धांत प्रतिपादित किया कि LRacT की धारा 136 में किसी भी प्रकार के अधिकारों का सृजन नही किया जा सकता है। इसलिए हस्तगत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है और प्रार्थी को सलाह दी जाती है कि वह नियमित वाद में आवे सुविधा की दृष्टि से प्रार्थी नियमित वाद में इस पत्रावली को नत्थी करवा सकेगा। निर्णय सरे इजलास पढकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (बनवारी लाल बैरवा) उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड अधिकारी बारां	